# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या 453/2023**

लूना जांगिड़ —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा, चुरू सभांग, चुरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सीकर।
5. रामनिवास स्वामी, अध्यापक ग्रेड–II, संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टीडों की बाड़ी, सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 18.01.2023
**आदेश की दिनांक** : 03.02.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा, अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–II संस्कृत के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तातेड़ा, नीमकाथाना, सीकर में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तातेड़ा, नीमकाथाना, सीकर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टीडों की बाड़ी, सीकर 170 कि.मी. दूर निजी प्रत्यर्थी संख्या–05 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–05 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर समंजित (Accommodation) करने के आशय से किया गया, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। अपीलार्थी को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय किया गया है, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर किया गया है। अपीलार्थी के पति रेलवे में पटियाला पंजाब में पदस्थापित है।

अपीलार्थी का छः माह का पुत्र है (अनलग्नक–4), जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी की है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**